

मुकदमों का विवरण

एन. रामकुमार

बनाम

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2006)

सितंबर 06, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: गुस्से में अपीलार्थी ने पीड़ित का सिर दीवार से टकरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मौत हो गई। अपीलार्थी ने यू/एस को दोषी ठहराया। 302 आई. पी. सी. और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। क्या सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आदेश और सजा और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को लागू करने की आवश्यकता है या सजा को परिवर्तित किया जाना है और यू/एस को सजा दी जानी है। 304 आई. पी. सी. का और यदि हां, तो एस. का कौन सा भाग। 304 आई. पी. सी.?

दंड संहिता, 1860 -s.302 और 304 भाग 2-उच्चतम न्यायालय के समक्ष सजा के निर्धारण के संबंध में सीमित प्रश्न। 302 आई. पी. सी. या सजा का एस. में रूपांतरण। 304 आईपीसी:

आयोजित किया गया: तत्काल मामले में यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी -दोषी और मृतक एक-दूसरे से प्यार करते थे-यह तथ्य कि मृतक ने अपीलार्थी से बात करना बंद कर दिया था और वह अपने पड़ोसी से बात कर रही थी, ने अपीलार्थी को क्रोधित कर दिया था और वह मृतक के रवैये के इस बदलाव से परेशान था-यहां तक कि पीडब्लू-1 (मृतक की मां) की गवाही के अनुसार, अपीलार्थी और मृतक के बीच उनके प्रेम संबंध के बारे में बहस हुई थी-अपीलार्थी क्रोधित हो गया और उसी क्षण उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसका सिर दीवार पर पटक दिया जिसके परिणामस्वरूप खून बह निकला और यह देखकर वह घटना स्थल से भाग गया-इस प्रकार, मृतक द्वारा किया गया एकल हमला।

845 846

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

पूरे प्रकरण की अवधि, इरादे का निर्णय करने के लिए कारक थे-इसलिए, अपीलार्थी यू/एस की दोषसिद्धि। 302 एक यू/एस में परिवर्तित/परिवर्तित किया जाता है। 304 आई. पी. सी. की धारा

॥ और अपीलार्थी को पहले से गुजर चुकी अवधि के कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।[पैरा 20 और 21]

दंड संहिता, **1860**-जब अभियुक्त को यू/एस के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।**302** और आई. पी. सी. की धारा **304-II**:

आयोजित किया गया:जहां साक्ष्य से यह खुलासा नहीं होता कि मृतक की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि अभियुक्त को पता था कि उसके कृत्यों से मृत्यु होने की संभावना थी, तो अभियुक्त को धाराओं के दूसरे भाग के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

304 आई. पी. सी.-यह इस पृष्ठभूमि में है कि भारतीय दंड संहिता में उपयोग की गई अभिव्यक्ति अर्थात् "इरादा" और "ज्ञान" को इन दो अभिव्यक्तियों के बीच अंतर की एक पतली रेखा के रूप में देखा जाना चाहिए-हत्या का गठन करने वाला अधिनियम, यदि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह खुलासा करेगा कि धारा 300 के तत्व संतोषजनक नहीं हैं और ऐसा कार्य अत्यधिक लापरवाही का है, तो यह उक्त धारा को आकर्षित नहीं करेगा-धाराओं के भाग 3 के भीतर एक मामला लाने के लिए।**300** आई. पी. सी. में, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को भड़काने का इरादा था जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।[पैरा 16]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

बासदेव बनाम पेप्सू राज्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 488:[1956] एससीआर 363;

पुलिचेरला नागराजू @नागराजा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

2006 एससी 3010:[2006] 4 पूरक।एस. सी. आर. 633; प्रताप सिंह @पिक्की बनाम राज्य

उत्तराखंड (2019) 7 एस. सी. सी. 424; दीपक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 8 एस. सी. सी. 228; अन्बझगन बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया।

2023 की आपराधिक अपील संख्या 2043-पर भरोसा किया गया।

रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 8 एससीसी 289:[2012] 7

एस. सी. आर. 160-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील सं. 2006।

एन. रामकुमार बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा

2013 के सी. आर. एल. ए. सं. 334 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

रूप:

एम. ए. चिन्नासामी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

वी. कृष्णमूर्ति, ए. ए. जी., डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री वैदेही रस्तोगी, सुश्री ऋचा विश्वकर्मा, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश अरविंद कुमार, जे।

1. सुना है।

2. यह अपील एक दोषी-अभियुक्त के कहने पर की गई है और मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा 2013 की आपराधिक अपील (एम. डी.) <आई. डी. 3 में पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के नेतृत्व में दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिससे 2010 के मामले <आई. डी. 2 में प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एन. सी. आर.) तिरुचिरापल्ली द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को लागू किया गया है।

3. संक्षेप में तथ्य, अनावश्यक विवरणों से कटा हुआ जो इस अपील के अंतिम चरण की ओर ले जाता है, निम्नानुसार हैं:

4. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक संगीता अपीलार्थी से प्यार करती थी और वह अपीलार्थी के आचरण से नाखुश थी और उसकी माँ ने भी उन्हें इस संबंध में चेतावनी दी थी। अभियोजन पक्ष का यह और मामला है कि मृतक ने अपीलार्थी को देखना बंद कर दिया और अपीलार्थी के साथ अपना संबंध तोड़ दिया और मृतक अपने पड़ोसी श्री सुधाकर से बात कर रहा था और घटनाओं के उक्त मोड़ से उत्तेजित होकर, अपीलार्थी ने लगभग 10.30 पर मृतक के घर में अतिक्रमण किया और दूसरे व्यक्ति से बात करने के उसके आचरण पर सवाल उठाया। अभियोजन पक्ष द्वारा कहा गया है कि अपीलार्थी ने गुस्से में आकर मृतक को उसके कान से पकड़ लिया और उसका सिर दीवार से टकरा दिया और मौके से भाग गया। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 ने मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया था और तीन दिनों के बाद शिकायत दर्ज की गई थी जिसके परिणामस्वरूप धारा 295 (बी), 448, 323 और 506 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2010 की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

[2023] 11 एस सी आर।

अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि 28.06.2010 मृतक, जिसका इलाज चल रहा था, खून की उल्टी करने लगा और सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा और सुबह 3:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर जाँच अधिकारी (पीडब्लू-12) ने आईपीसी की धारा 295 (बी), 448, 323, 506 (1), और आईपीसी की धारा 302 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप को बदल दिया।

6. अपीलार्थी -अभियुक्त पर कथित अपराध के लिए और मृतक की माँ (पीडब्लू-1) की गवाही के आधार पर मुकदमा चलाया गया और पड़ोसी (पीडब्लू-2) के अभिसाक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए, जिसने आरोपी को परिचर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपराध स्थल से दूर जाते हुए देखने का दावा विद्वान था, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 450 और 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। अभियुक्त को पांच साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और धारा 450 के तहत अपराध के लिए छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

7. उक्त निर्णय की वैधता पर 2013 की आपराधिक अपील (एम. डी.) No.334 में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया गया था और पूरे साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने पर, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचकर सत्र न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया कि यह अपीलार्थी था जिसने मृतक को चोट पहुँचाई थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी और मृतक के घर में अतिक्रमण करने का आरोपी का कार्य हत्या करने के लिए था, स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी राय दी गई थी कि मृतक ने आरोपी के लिए अपना प्यार छोड़ दिया था और उसने एक श्री सुधाकर के साथ संबंध विकसित कर लिए थे, जिससे आरोपी बदला लेने के लिए क्रोधित हो गया था और इस कारण से वह उसे खत्म करने के दृढ़ संकल्प के साथ मृतक के घर गया था और इस तरह यह आई. पी. सी. की धारा 300 के पहले अंग के भीतर आता है और इस प्रकार, वह आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी था। इसलिए यह अपील की गई है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं। अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री एम. ए. चिन्नासामी का यह तर्क है कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई है और केवल इसी आधार पर अभियोजन के सिद्धांत को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। वह यह भी तर्क देगा कि अभियुक्त की दोषसिद्धि पीडब्लू-1 की एकमात्र गवाही पर आधारित है और उसकी गवाही में विरोधाभास स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और भरोसेमंद नहीं है और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि पीडब्लू-1 उसकी बेटी के प्रेम संबंध के खिलाफ था और आरोपी द्वारा उसे स्वीकार किया गया था, आरोपी के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रवैये को प्रकट करेगा। रसोईघर में खून होने के संबंध में पीडब्लू-12 (जांच अधिकारी) के बयान और पीडब्लू-5 के बयान से भी झूठ बोला जाता है, जिन्होंने इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है। वह न्यायालय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करेंगे कि पीडब्लू-1 द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में अभियोजन पक्ष का सिद्धांत यह है कि आरोपी ने उसकी बेटी के चेहरे पर घूंसा मारा था और वह रसोई के स्लैब पर गिर गई थी। हालाँकि, अपने साक्ष्य में उसने बयान दिया है कि आरोपी ने पीड़िता के कान पकड़े हुए थे और उसे दीवार से टकरा दिया था। हालाँकि, पीडब्लू-1 ने दावा किया कि मृतक को ऑटो रिवक्शा में ले जाया गया था, ऑटो रिवक्शा के चालक से पूछताछ न करने से अभियोजन सिद्धांत में संदेह पैदा होगा। न तो आरोपी के कपड़े और न ही पीड़ित के कपड़े रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए थे। वह यह भी तर्क देगा कि यदि यह न्यायालय अवर न्यायालयों के आदेशों को लागू करता है, तो वह आई. पी. सी. की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत सजा को परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि आरोपी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके कार्य से मौत होने की संभावना है, क्योंकि यह गैर इरादतन हत्या होगी जो हत्या के बराबर नहीं होगी।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विवादित आदेश का समर्थन करेंगे और उन्होंने इसे लागू करने के लिए प्रार्थना की है। वह यह भी तर्क देंगे कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर महाभियोग नहीं चलाया गया है और अभियोजन पक्ष के गवाह जिरह की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इस तरह विवादित आदेश को लागू किया जाना चाहिए। वह आगे तर्क देगा कि आरोपी मृतक से प्यार करने के कारण इस तथ्य को पचाने में असमर्थ था कि उसने अपने पड़ोसी सुधाकर के साथ अंतरंगता विकसित कर ली थी और निराश होने के कारण आरोपी ने मृतक को खत्म करने का चरम कदम उठाया था और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों के साथ सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले और सजा में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए उन्होंने याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है।

850

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

10. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 21.11.2016 पर इस अपील की सूचना जारी करते समय, इसे बंद करने के उद्देश्य से प्रतिबंधित किया गया था। इसलिए, इस

सीमित क्षेत्र के भीतर इस अपील की जांच की जानी चाहिए, अर्थात्, क्या सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आदेश और सजा और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को लागू करने की आवश्यकता है या सजा को परिवर्तित किया जाना है और आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा दी जानी है और यदि ऐसा है, तो आईपीसी की धारा 304 का कौन सा हिस्सा है?

11. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को समझना आवश्यक होगा। मृत्यु के कारण के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई व्यक्तिगत राय जैसा कि प्रदर्शनी पी-9 से स्पष्ट है, नीचे दी गई है:

“ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु "सिर की चोट" से हुई है। (विसरा रिपोर्ट संलग्न-अन्य प्रारूप में शराब का पता नहीं चला था)।

12. मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर (पीडब्लू-11) ने बयान दिया है कि वह रिपोर्ट एक्स के लेखक हैं। पी-9। उन्होंने यह भी कहा है कि जब कोई व्यक्ति फिसल जाता है और रसोई के स्लैब पर गिर जाता है तो उसमें पाई जाने वाली चोटों में सूजन आ सकती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि जिन दो चोटों की उन्होंने पहचान की थी, उनमें एक सप्ताह पहले सूजन आ गई थी और वे ठीक होने की प्रक्रिया में थे। पीडब्लू-10, जो कावेरी अस्पताल, त्रिची में डॉक्टर हैं और जिन्होंने मृतक की जांच की थी, ने बताया कि जब उन्होंने 26.06.2010 पर उसकी जांच की तो वह होश में थे। उन्होंने यह भी अपदस्थ किया है कि मृतक अच्छी बोलने की स्थिति में था। अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी की गवाही, अर्थात् मृतक की माँ-पीडब्लू-1 की जांच की जानी चाहिए। उसी के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उसने 10 बजे 19.06.2010 पर पदच्युत किया है: 30 जब वह और उसकी मृत बेटी घर पर थे, तो आरोपी उनके घर गए थे और उनकी बेटी से पूछा था कि वह पड़ोसी सुधाकर से बात क्यों कर रही थी और उससे बात क्यों नहीं कर रही थी। वह आगे बताती है कि ऐसा कहने के बाद, उसने उसकी बेटी के चेहरे पर घूंसा मारा और उसके दोनों कान पकड़ लिए और उसे रसोई की दीवार पर जोर से मारा और तुरंत उसकी बेटी नीचे गिर गई और उसका सिर टूट गया और दाहिना कान काट दिया गया। इसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी को गीतांजलि अस्पताल और अगले दिन केएमसी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। मृतक के चाचा-पीडब्लू-2 की गवाही जो रिकॉर्ड में है, से पता चलता है कि वह 10 बजे काम से लौट रहा था: 45 19.06.2010 पर शाम को और उसने आरोपी को अपनी सास के घर से बाहर आते देखा और उसके रोने की आवाज सुनी और इस तरह वह उसके घर पहुंचा और 851 देखा।

एन. रामकुमार बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा [अरविंद कुमार, जे.] 852

मृतक बेहोश हालत में पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पूछताछ करने पर, पीडब्लू-1 ने उसे (पीडब्लू 2) आरोपी द्वारा किए गए हमले के बारे में सूचित किया।

13. घटना की उत्पत्ति और इसमें अपीलार्थी की भूमिका और उसका इलाज करने वाले और मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की गवाही के संबंध में हमारे चिंतित विचार से पता

चलता है कि डॉक्टर ने मृतक पर दो चोटों को नोट किया है: ((i) बाएँ कान में 3 सेंटीमीटर की चोट और (ii) बाएँ सिर में लगभग 7 सेंटीमीटर के दो घाव और उसके करीब एक और छोटी सी चोट। जैसा कि पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट Ex.P-9 में उल्लेख किया गया है, चोटें इस प्रकार हैं: “((i) सूजे हुए घाव:- दाहिने कान के लोब्यूल पर लंबाई में 2 सेमी। टांके हटाने पर, किनारे अनियमित होते हैं, चौड़ाई में 0.5 सेमी और मांसपेशियों में गहरी, खोपड़ी के बाएं अस्थायी क्षेत्र पर, लंबाई में 7 सेमी। टांके हटाने पर, किनारे अनियमित होते हैं, चौड़ाई में 2 सेमी और हड्डी गहरी, खोपड़ी के बाएं पार्श्व क्षेत्र पर, लंबाई में 2 सेमी। टांके हटाने पर, किनारे अनियमित होते हैं, चौड़ाई में 1 सेमी और हड्डी गहरी होती है।

(ii) खोपड़ी के पश्चवर्ती क्षेत्रों के बाएँ अस्थायी, बाएँ पार्श्विक और बाएँ पक्ष की चोट का समाधान। सेरेब्रल और सेरेबेलर हेमी-स्फीयर दोनों पर सब-ड्यूरल रक्तस्राव और सब एराक्नोइड रक्तस्राव। खोपड़ी-बाएं मध्य कपाल फोसा का फ्रैक्चर आधार मौजूद है।”

14. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण "सिर में चोट लगने से मौत" बताया गया है। यह एक तुच्छ कानून है कि "गैर-इरादतन हत्या" एक वंश है और "हत्या" इसकी प्रजाति है और सभी "हत्याएं" "गैर-इरादतन हत्याएं" हैं, लेकिन सभी "गैर-इरादतन हत्याएं" "हत्याएं" नहीं हैं जैसा कि इस न्यायालय ने माना है।

रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 8 एससीसी 289। इरादे.

अभियुक्त का न्याय वास्तविक परिस्थितियों के आलोक में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए।

15. पृष्ठ पर बसदेव बनाम पेप्सू राज्य 1956 एस. सी. 488 के मामले में

490 निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं: “बेशक, हमें उद्देश्य, इरादे और ज्ञान के बीच अंतर करना होगा। अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज है जो एक आदमी को एक इरादा बनाने के लिए प्रेरित करती है और ज्ञान कार्य के परिणामों के बारे में जागरूकता है। कई मामलों में इरादा और ज्ञान एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं और इसका अर्थ कमोबेश एक ही होता है और इरादे की कल्पना इससे की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

ज्ञान। ज्ञान और इरादे के बीच की सीमांकन रेखा निस्संदेह पतली है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि वे अलग-अलग चीजों को दर्शाते हैं। यहाँ तक कि कुछ अंग्रेजी निर्णयों में भी, तीनों विचारों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है और इससे एक निश्चित मात्रा में भ्रम पैदा हुआ है।” 16. यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उपरोक्त निर्णय में सुझाए गए परीक्षण और यह तथ्य कि विधायिका ने दो अलग-अलग शब्दावली, 'आशय' और 'ज्ञान' का

उपयोग किया है और शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किए गए कार्य के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है और इस ज्ञान के साथ किए गए कार्य के लिए कि उसके कार्य से ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे के बिना मृत्यु होने की संभावना है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, 'आशय' और 'ज्ञान' को समान रूप से मानना असुरक्षित होगा। वे अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ज्ञान उन परिस्थितियों में से एक होगी जिन्हें अपेक्षित इरादे का निर्धारण या अनुमान लगाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहां साक्ष्य से यह खुलासा नहीं होता कि मृतक की मौत का कारण बनने का कोई इरादा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि आरोपी को पता था कि उसके कृत्यों से मौत होने की संभावना थी, तो आरोपी को आईपीसी की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि भारतीय दंड संहिता में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति अर्थात् "इरादा" और "ज्ञान" को इन दोनों अभिव्यक्तियों के बीच अंतर की एक पतली रेखा के रूप में देखा जाना चाहिए। हत्या का गठन करने वाला अधिनियम, यदि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, यह खुलासा करता है कि धारा 300 के तत्व संतुष्ट नहीं हैं और ऐसा कार्य अत्यधिक लापरवाही का है, तो यह उक्त धारा को आकर्षित नहीं करेगा। आई. पी. सी. की धारा 300 की धारा 3 के भीतर मामला लाने के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को भड़काने का इरादा था जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। दूसरे शब्दों में, कि जो चोट मौजूद पाई गई वह वह चोट थी जिसका इरादा किया गया था

फूला हुआ। यह न्यायालय पुलिचेरला नागराजू @ नागराजा रेड्डी के मामले में है।

बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3010 ने कहा है: "इसलिए, न्यायालय को इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सावधानी और सावधानी के साथ निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तय करेगा कि मामला धारा 304 या 304 भाग I या 304 भाग II के तहत आता है या नहीं। कई छोटी या तुच्छ बातें मायने नहीं रखती हैं—एक फल को तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों का झगड़ा, अशिष्ट शब्द बोलना या यहां तक कि एक आपत्तिजनक नज़र, विवाद और समूह संघर्षों का कारण बन सकता है जो मौतों में समाप्त हो सकता है। ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा कोई आशय न हो। वहाँ मई 853

एन. रामकुमार बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा [अरविंद कुमार, जे.] 854

कोई पूर्वधारणा न करें। ऐसा भी हो सकता है कि वास्तव में, कुछ आपराधिक हो ही नहीं। दूसरी ओर, हत्या के ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अभियुक्त हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास यह दलील देते हुए करता है कि मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था। यह सुनिश्चित करना अदालतों का काम है कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग I/II के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाए, या गैर-इरादतन हत्या के मामलों को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या माना जाए। मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से एकत्र किया जा

सकता है: (i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था या मौके से उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाकर किया गया था; (iv) चोट पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए गए बल की मात्रा; (v) क्या यह कार्य अचानक झगड़े के दौरान या अचानक हुआ था या सभी के लिए मुक्त था; (vi) क्या यह घटना संयोग से हुई या क्या कोई पूर्वधारणा थी; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या क्या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा हुआ था, और यदि ऐसा है, तो इस तरह के उकसावे का कारण; (ix) क्या यह घटना अचानक हुई थी या अचानक हुई थी। परिस्थितियों की उपर्युक्त सूची निश्चित रूप से संपूर्ण नहीं है और अलग अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो आशय के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती हैं। जो भी हो सकता है।

17. यह न्यायालय प्रताप सिंह @पिकी बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में

(2019) 7 एस. सी. सी. 424 ने देखा था कि मृतक-पीड़ित को कुल 11 चोटें आई थीं और उसे अन्य अपराधों के अलावा आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II/धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। यह देखा गया कि कुछ विवाद हुआ और समूहों ने बिना किसी पूर्व-चिंतन के हाथापाई की और आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II/धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें अपीलार्थियों युवा लड़के थे और उन्होंने तीन साल और पांच महीने से अधिक की सजा काट ली थी और कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी, इस न्यायालय को आश्चर्य किया कि सजा की मात्रा अत्यधिक है और तदनुसार उन्हें आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II/धारा 34 के तहत अपराध के लिए पहले से ही गुजर चुकी अवधि की सजा सुनाई गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

“27. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है, हम उसमें सार रखते हैं और प्रथम स्थान पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सजा देते समय प्रासंगिक तथ्यों का कोई विश्लेषण नहीं किया है जैसा कि 12 जनवरी, 1998 के निर्णय (कागजी पुस्तक के पृष्ठ 96-97) से देखा जा सकता है। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी सजा की मात्रा के मुद्दे पर विचार नहीं किया है। रिकॉर्ड से सामने आई तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है कि वे युवा लड़के थे जिनकी कोई पिछली दुश्मनी नहीं थी और वे सामूहिक रूप से बैठे हुए थे और जगजीत सिंह की रात देख रहे थे। मृतक के सामने बैठी लड़कियों को की गई कुछ टिप्पणियों पर, कुछ विवाद हुआ और वे हाथापाई में पड़ गईं और बिना किसी पूर्व-ध्यान के, युवा लड़कों के दो समूह के बीच कथित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इस न्यायालय को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी ने तीन साल और पांच महीने से अधिक की सजा काट ली है। समग्रता में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घटना जून 1995 की है और कोई अन्य

आपराधिक पृष्ठभूमि हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है, और मामले के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए, हम अपीलार्थी के निवेदन में बल देते हैं कि सजा की मात्रा अत्यधिक है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।”

18. (2018) में रिपोर्ट किए गए दीपक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में

8 एस. सी. सी. 228 इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि घटना पल की गर्मी में हुई थी और हमला पसलियों के पिंजरे में एक तलवार से किया गया था, बिना किसी पूर्व-चिंतन के और घटना पल भर में हुई थी, और इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया कि हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और इस तरह हत्या को आई. पी. सी. की धारा 304 से आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II में बदल दिया गया था और अपीलार्थी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया था और उन्हें पहले से चली आ रही दोषसिद्धि की अवधि की सजा सुनाई गई थी। यह आयोजित किया गया था:

“7. सबूतों की संपूर्णता पर विचार करने पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना पल की गर्मी में हुई थी और हमला समय पर पूर्व-चिंतन के बिना किया गया था। यह तथ्य कि अपीलार्थी सड़क के पार अपने घर पहुंचा और तलवार लेकर लौटा, हत्या के इरादे का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, दोनों घटना की उत्पत्ति और अपीलार्थी द्वारा एकल हमले के कारण, पूरे प्रकरण की अवधि के साथ डेढ़ से दो मिनट के लिए। क्या 855 को समाप्त करने का कोई इरादा था

एन. रामकुमार बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा [अरविंद कुमार, जे.] 856

मृतक का जीवन, किसी भी चीज़ ने अपीलार्थी को भागने के बजाय अपनी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए दूसरा हमला करने से नहीं रोका। ऐसा प्रतीत होता है कि टेप रिकॉर्डर के जोर से बजने के कारण एक नाराज पड़ोसी द्वारा गुस्सा निकालकर सबक सिखाने का इरादा अधिक था। लेकिन इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति में, पसलियों के पिंजरे वाले क्षेत्र में किए गए हमले में, यह ज्ञान कि मृत्यु होने की संभावना थी, अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराना होगा।

8. सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, हम आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने में असमर्थ हैं और संतुष्ट हैं कि यह आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित किए जाने के योग्य है। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है। उसकी दोषसिद्धि के बाद की गई अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, हम सजा को पहले से गुजर चुकी अभिरक्षा की अवधि में बदल देते हैं। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो अपीलार्थी को तुरंत रिहा किया जा सकता है।

9. इसलिए अपील को आंशिक रूप से दोषसिद्धि और सजा के उपरोक्त संशोधन के साथ अनुमति दी जाती है।”

19. अनबाझगन के मामले में हाल ही में एक फैसले में यह न्यायालय

बनाम। आपराधिक अपील में पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया

20.07.2023 पर निपटाए गए 2023 के No.2043 ने इस कार्य को करने में अभियुक्त के इरादे या ज्ञान को निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले सही परीक्षण के संदर्भ को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

“60. उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट होने वाले कानून के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(1) जब न्यायालय से इस सवाल का सामना किया जाता है कि आरोपी ने क्या किया है, तो सही परीक्षा यह है कि आरोपी के इरादे या जानकारी का पता लगाया जाए। यदि इरादा या जानकारी ऐसी थी जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (1) से (4) में वर्णित है, तो यह कार्य हत्या होगी, भले ही केवल एक चोट लगी हो। इसे स्पष्ट करने के लिए: 'ए' 'हाथ और पैर से बंधा होता है।' 'बी' 'आता है और अपनी रिवॉल्वर को' ए 'के सिर पर रखता है, उसके सिर में' ए 'गोली मारता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। यहां, यह मानने में कोई अड़चन नहीं होगी कि 'ए' की शूटिंग में 'बी' का इरादा उसे मारना था, हालांकि केवल एक चोट लगी थी। अतः यह मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (1) के अंतर्गत आने वाली हत्या का होगा। लेना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

एक अन्य उदाहरण, 'बी' अपने दुश्मन 'ए' के शयनकक्ष में घुस जाता है, जबकि ए अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। 'ए' की बाईं छाती पर निशाना साधते हुए, 'बी' जबरन 'ए' की बाईं छाती में तलवार फेंक देता है और भाग जाता है। 'इसके तुरंत बाद ए 'की मृत्यु हो जाती है। 'ए' की चोट को मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त पाया गया। यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि 'बी' ने जानबूझकर पाई गई विशेष चोट को बढ़ा दिया और यह कि उक्त चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए निष्पक्ष रूप से पर्याप्त थी। यह आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (3) के भीतर 'बी' के अधिनियम को लाएगा और उसे हत्या के अपराध का दोषी ठहराएगा, हालांकि केवल एक चोट लगी थी। (2) यहां तक कि जब अभियुक्त का इरादा या जानकारी आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (1) से (4) के भीतर आ सकती है, तब भी अभियुक्त का कार्य जो अन्यथा हत्या होगी, हत्या के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, यदि अभियुक्त का मामला उस धारा में उल्लिखित कुछ अपवादों में से किसी एक को आकर्षित करता है। उन अपवादों में से किसी के अंतर्गत आने वाले मामले की स्थिति में, आई. पी. सी. की धारा 304 की धारा 1 के अंतर्गत आने वाली गैर इरादतन हत्या होगी, यदि अभियुक्त का मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (1) से (3) के भीतर आता है। यदि मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (4) के अंतर्गत आता है तो यह धारा 304 के भाग 2 के तहत अनुचित होगा। पुनः, अभियुक्त का इरादा या जानकारी ऐसी

हो सकती है कि आई. पी. सी. की धारा 299 का केवल दूसरा या तीसरा भाग आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन आई. पी. सी. की धारा 300 के किसी भी खंड को नहीं। उस स्थिति में भी, आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या होगी। यदि मामला धारा 299 के दूसरे भाग के भीतर आता है, तो यह उस धारा के भाग I के तहत अपराध होगा, जबकि यह धारा 304 के भाग II के तहत अपराध होगा यदि मामला आईपीसी की धारा 299 के तीसरे भाग के भीतर आता है।

(3) दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति का कार्य आई. पी. सी. की धारा 299 में वर्णित गैर इरादतन हत्या के मामलों के पहले दो खंडों के भीतर आता है, तो यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। हालाँकि, यदि यह तीसरे खंड के भीतर आता है, तो यह धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है। अतः प्रभावी अधिनियम में, इस धारा का पहला भाग तब लागू होगा जब 'दोषी इरादा' हो, जबकि दूसरा भाग तब लागू होगा जब ऐसा कोई इरादा नहीं हो, लेकिन 'दोषी ज्ञान' हो।

857

एन. रामकुमार बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा [अरविंद कुमार, जे.] 858

(4) भले ही एक चोट लगी हो, अगर उस विशेष चोट का इरादा था, और निष्पक्ष रूप से यह चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, तो आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड 3 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और हत्या होगी। (5) आई. पी. सी. की धारा 304 निम्नलिखित वर्गों के मामलों पर लागू होगी: (i) जब मामला धारा 300 के खंडों में से एक या दूसरे के तहत आता है, लेकिन यह उस धारा के अपवादों में से एक द्वारा कवर किया जाता है, (ii) जब होने वाली चोट उच्च स्तर की संभावना की नहीं होती है जो 'मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त है' अभिव्यक्ति द्वारा कवर की जाती है, लेकिन इसकी संभावना कम होती है जिसे आम तौर पर 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना' के रूप में कहा जाता है और मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (2) के तहत नहीं आता है, (iii) जब कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु या मृत्यु का कारण बनने की संभावना वाली चोट के इरादे के बिना।

इसे और अधिक संक्षिप्त रूप से रखने के लिए, आई. पी. सी. की धारा 304 के दो भागों के बीच अंतर यह है कि पहले भाग के तहत, हत्या का अपराध पहले स्थापित किया जाता है और फिर आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी भी स्थापित नहीं होता है। इसलिए, किसी अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के उद्देश्य से, अभियुक्त को अपने मामले को आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है। (6) 'संभावित' शब्द का अर्थ है संभवतः और यह अधिक 'संभवतः' से अलग है। जब ऐसा होने की संभावना समान या उससे अधिक होती है जो ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बात 'शायद होगी'। निष्कर्ष पर

पहुँचने में, न्यायालय को खुद को अभियुक्त की स्थिति में रखना होता है और फिर यह निर्णय करना होता है कि क्या अभियुक्त को इस बात की जानकारी थी कि इस कार्य से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी।

(7) आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत किसी आरोप से निपटने के दौरान गैर इरादतन हत्या (आई. पी. सी. की धारा 299) और हत्या (आई. पी. सी. की धारा 300) के बीच के अंतर को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। गैरकानूनी हत्याओं की श्रेणी के तहत, दोनों, गैर-इरादतन हत्या के मामले और गैर-इरादतन हत्या के मामले आते हैं। जब मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवादों के भीतर लाया जाता है तो दंडनीय हत्या हत्या नहीं है। लेकिन फिर भी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

उक्त अपवादों में से किसी का भी अनुरोध नहीं किया गया है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया गया है, हत्या के आरोप को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 300 के चार खंडों में से किसी के तहत मामले को लाने के लिए अभियोजन पक्ष को अभी भी कानून के तहत आवश्यक होना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 300 के चार खंडों में से किसी एक को स्थापित करने में इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, अर्थात्, 1 से 4 तक, तो हत्या का आरोप नहीं लगाया जाएगा और मामला गैर-इरादतन हत्या का हो सकता है जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 299 के तहत वर्णित है। (8)

न्यायालय को पुरुष अधिकार के प्रश्न पर स्वयं को संबोधित करना चाहिए। यदि धारा 300 का तीसरा खंड लागू किया जाना है, तो हमलावर को मृतक पर लगी विशेष चोट का इरादा रखना चाहिए। इस घटक को शायद ही कभी प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से, यह मामले की सिद्ध परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालने का विषय है। न्यायालय को आवश्यक रूप से उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, शरीर के घायल हिस्से, चोट की सीमा, चोट पहुँचाने में उपयोग किए गए बल की मात्रा, हमले के तरीके, हमले से पहले की परिस्थितियों और परिचर को ध्यान में रखना चाहिए।

(9) हत्या करने का इरादा ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है जो एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है। प्रकृति के सामान्य कारण में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोट या चोट पहुँचाने का इरादा भी एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है यदि मृत्यु वास्तव में हुई है और ऐसी चोट या चोट पहुँचाने के इरादे का अनुमान उस कार्य या कृत्य से लगाया जाना है जिसके परिणामस्वरूप चोट या चोट लगी है।

(10) जब अभियुक्त द्वारा की गई एकल चोट के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का इरादा मृत्यु या उस विशेष चोट का कारण बनने का नहीं था जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हुई

थी। किसी अभियुक्त का दोषी ठहराने का इरादा था या नहीं, यह तथ्य का सवाल है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है।

(11) जहाँ अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि अभियुक्त का इरादा किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने या उसे शारीरिक चोट पहुँचाने का था और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए इच्छित चोट पर्याप्त है, तब, भले ही वह एक भी चोट लगाता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो भी अपराध पूरी तरह से आई. पी. सी. की धारा 300 के तीसरे खंड के तहत आता है जब तक कि कोई भी अपवाद लागू न हो।

859

एन. रामकुमार बनाम राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा [अरविंद कुमार, जे.] 860

(12) सवाल का निर्धारण करने में, क्या किसी आरोपी को ऐसे मामले में दोषी होने का इरादा या दोषी ज्ञान था, जहाँ उसके द्वारा केवल एक ही चोट का आरोप लगाया गया है और यह चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त है, तथ्य यह है कि यह कार्य अचानक किसी लड़ाई या झगड़े में पूर्व-चिंतन के बिना किया गया है, या यह कि परिस्थितियाँ यह उचित ठहराती हैं कि चोट आकस्मिक या अनजाने में थी, या कि उसने केवल एक साधारण चोट का इरादा किया था, जिससे दोषी ज्ञान का अनुमान लगाया जाएगा, और आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत अपराध होगा।

20. इस प्रकार, यह धारा 304 भाग 2 में अधिरोपित सजा को परिवर्तित करने के लिए ऊपर विश्लेषण किए गए मामले के कानून से सामने आता है-मुकदमे के दौरान उजागर किए गए तथ्यों को देखना होगा। हाथ में मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि मृत्यु या घटना की उत्पत्ति के लिए कोई पूर्व-योजना नहीं थी और आरोपी द्वारा एकल हमला और पूरे प्रकरण की अवधि, इरादे का निर्णय करने के लिए कारक थे। इस अपराध को स्पष्ट रूप से आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II के दायरे में लाया जा सकता है। तत्काल मामले में यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी और मृतक एक-दूसरे से प्यार करते थे। यह तथ्य कि मृतक ने अपीलार्थी से बात करना बंद कर दिया था और वह अपने पड़ोसी श्री सुधाकर से बात कर रही थी, ने अपीलार्थी के मन को मृतक के आचरण के बारे में क्रोधित होने के लिए प्रज्वलित कर दिया था और वह मृतक के रवैये के इस परिवर्तन से परेशान था। यहां तक कि पीडब्लू-1 की गवाही के अनुसार, जो कोई और नहीं बल्कि मृतक की माँ है, अपीलार्थी और मृतक के बीच बहस हुई थी और अपीलार्थी और मृतक के बीच उनके प्रेम संबंध के संबंध में शब्दों का आदान-प्रदान हुआ था। अपीलार्थी द्वारा यह पूछे जाने पर कि अभियुक्त ने उससे बात करना क्यों बंद कर दिया था और वह सुधाकर के साथ दोस्ती विकसित करने की कोशिश क्यों कर रही थी और मृतक द्वारा दिए गए जवाब के परिणामस्वरूप अपीलार्थी क्रोधित हो गया था और उसी क्षण उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसका सिर दीवार से टकरा दिया जिसके परिणामस्वरूप खून बहने लगा और यह देखकर वह घटना स्थल से भाग गया। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा किया गया एकल हमला और पूरी अवधि की अवधि लगभग 2 से 3 मिनट तक रही, यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि

उसका इरादा मृतक को मारने का था। यदि मृतक के जीवन को समाप्त करने का कोई इरादा होता, तो जाहिर है कि अपीलार्थी तैयार होकर आता और पूर्व-चिंतन से मृतक पर हमला करता। फिर भी एक अन्य कारण जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता है, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से मृतक से संपर्क किया था और उसका इरादा था कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रही थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

वे प्यार में थे और श्री सुधाकर (पड़ोसी) के साथ उसके दोस्ताना होने के संदेह को दूर करने के लिए भी और इस तथ्यात्मक परिदृश्य में, तीखी नोकझोंक हुई है और उसके जवाब से क्रोधित होकर अपीलार्थी ने गुस्से में उसका सिर दीवार पर पटक दिया है, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उसका इरादा उसकी जान लेने का था, खासकर जब वह उससे प्यार करता था। 21. कानून और तथ्यों के उपरोक्त विश्लेषण में, हमारा विचार है कि वर्तमान अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। परिवर्तित दोषसिद्धि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बदल दिया जाता है/परिवर्तित कर दिया जाता है, अपीलार्थी को पहले से गुजर चुकी अवधि के कारावास की सजा सुनाई जाती है और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

22. उपरोक्त शर्तों में अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

अंकित ज्ञान